न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 38 / 2015
निर्णय दिनांक:– 11..09.2018

उनवान

चुन्नु खां पुत्र श्री उसमान खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
–वादी

बनाम

1. मोहम्म्द नूर पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2. शेर मोहम्म्द पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
3. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
4. निशारा पुत्री श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
5. सितारा पुत्री श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
6. मोविना पत्नी श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
7. अख्तर खान पुत्र हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
8. अल्ताफ खान पुत्र हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
9. शमीम पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
10. नसीम पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
11. इन्ताज पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
12. मोविना पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
13. मोहम्मद खान पुत्र नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
14. मोहम्मद उमर पुत्र नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
15. मसूदा पत्नी नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
16. नजमा पुत्री नन्हे खां पत्नी जीमल मियां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील टोंक
17. रजियां पुत्री नन्हे खां पत्नी शाकिर मियां जाति मुसलमान निवासी अहमदाबाद, जुवापुरा गुजरात
18. साफियां पुत्री नन्हे खां पत्नी सादिक निवासी बायपास जयपुर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास टोंक
19. मरजीना पुत्री नन्हे खां पत्नी रईस मियां निवासी बायपास जयपुर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास टोंक
20. अकबर पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी मोतीबाग टोंक
21. फारूख पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
22. जमील पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
23. खलीज पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
24. अजीज पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
25. रसीदा पुत्री जुम्मा खां पत्नी गुलाम अली निवासी मोतीबाग टोंक
26. बीबी पुत्री जुम्मा खां पत्नी छोटे खां निवासी निवासी मोतीबाग टोंक
27. अजीजा पुत्री जुम्म खां पत्नी मो0 खां निवासी अलीगढ (टोंक)
28. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री इकबाल अहमद , वकील वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार है:–

यह कि कृषि भूमिम साबिका ख0न0 85 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 201 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 200 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नाहरी उर्फ वजीरपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है, जिसके

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx196

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

हाल ख0न0 381, 395, 397, 398 है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी बतोरे मालिक व स्वामी काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयत वादी व प्रतिवादीगण के दादा कला खां उर्फ कल्लू खां पुत्र श्री हमदा खां के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी। कलां खा के 5 लडके उस्मान खां, नन्हे खां, छोटे खां, नोशे खां व जुम्मा खां थे जिनमे से जिन्होने अपने जीवनकाल मे ही दि0 20.5.1985 को वादग्रस्त आराजीयात को जो कलां खां के खातेदारी मे थी, उसे जरिये वसीयत रूबरू गवाहान वादी के ह कमे तहरीर व तकमील कर दी थी तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर वादी को मालिक व स्वमी उनकी हयाते जिन्दगी मे बना दिया था तीी से वादी उक्त आराजीयात पर बतोरे मालिक व स्वामी काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण वादी के पिता उस्मान खां व छोटे खां के स्थान पर जमाबन्दी मे वादी का नाम अंकन हो गया, परन्तु मृतक नन्हे खां, नोशे खा व जुम्मा खां का नामान्तरकरण जमाबन्दी मे अभी इस समय मृतक नन्हे खां, नोशे खां व जुम्मा खां के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 12 के नाम गलत रूप से खोल दिया, जबकि उक्त आराजीयात का असल मालिक व स्वामी वादी ही है। वादग्रस्त आराजीयात का नामान्तरकरण गलत रूप से प्रतिवादीगण 1 ता 12 के नाम खोल दिये जाने व राजस्व रेकार्ड मे मृतक नन्हे खां व नोशे खां के नाम चली आ रही होने के कारण अब प्रतिवादीगण के दि लमे बेईमानी पेदा होने लगी है तथा वादी के हक व अधिकारों को चेलेन्ज करते हुये वादी को जबरन उक्त वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करने व अन्य को रहन बैचान कर हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जिनका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजीयात पर वादी को बतोरे खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना व जरिये दुरूस्ती इन्द्राज प्रतिवादी न0 1 ता 12 एवं मृतक खातेदार नन्हे खां व नोशे खां का नाम डिलिट किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण 1 ता 27 द्वारा वादी को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल कर स्वयं कब्जा करने व भूमि को रहन बैचान की धमकी दिये जाने से यह वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे। वादग्रस्त आराजी हाल ख0न0 381 रकबा 0.43, ख0न0 395 रकबा 0.88, ख0न0 397 रकबा 0.18, ख0न0 398 रकबा 0.40 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा का वादी को तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा जरिये दुरूस्ती प्रतिवादी न0 1 ता 12 व मृतक नन्हे खां व नोशे खां का नाम तर्क किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें िकवें वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे और ना ही काश्त मे बाधा डाले।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण के बावजूद तामीली सूचना उपस्थित नही आने के कारण उनके विरूद्व दिनांक 04.12.2017 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वादी के वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 प्रदर्श 4, नकल खतोनी जमाबन्दी भू प्रबन्ध विभाग 2041 से 2060 प्रदर्श 5, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 6, असल वसीयत प्रदर्श 7, प्रस्तुत किये गये।

वादी के वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू0 1 चुन्नु खां, , पी0डब्लू0 2 शंकर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

वादी के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया। प्रदर्श 5 नकल जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2060 मे आराजी ख0न0 381, 395, 397, 398 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 कला खां पुत्र हमदा खां पठान सा0 पाटोली

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

खातेदार दर्ज है। प्रदर्श 4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2055–2058 वाके ग्राम नाहरी तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 381, 395, 397, 398 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 नन्हे खां, नोशे खां, जुम्मा खां पि0 कल्ला खां हि0 3/5, चुन्नु खां पि0 उस्मान खां हि0 2/5 कोम पठान सा0 पाटोली की खातेदारी मे दर्ज है। प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 ग्राम नाहरी मे आराजी ख0न0 381, 395, 397, 398 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 नन्हे खां, नोशे खां, जुम्मा खां पि0 कल्ला खां हि0 3/5, चुन्नु खां पि0 उस्मान खां हि0 2/5 कोम पठान सा0 पाटोली की खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे नासं0 328 दिनांक 27.6.14 द्वारा नोशे खां के बजाय मो0नूर शेर मोहम्मद शरीफ मो0 पुत्रान निशारा सितारा पुत्रियां मोबिना ध0प0 नोशे खां हि0 6/35 अख्तर खान अल्ताफ खान शमसाद खान पुत्रान शमीम नसीम, इन्ताज मोबिना पुत्रियां हाजरा हि0 1/35 का फोती नामा0 स्वीकार हुआ है।

स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता कला खां उर्फ कल्लू खां की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि थी। जिनके पांच लडके उस्मान खां, नन्हे खां , छोटे खां, नोशे खां व जुम्मा खां थे। जिन्होने दिनांक 20.5.1985 को जरिये वसीयतनामा प्रदर्श 7 वादी चुन्नु खां को वसीयत कर दी थी। अब चूकि कला खां उर्फ कल्लू खां के पाचों लडको की मृत्यु हो चुकी है। जिसमे से छोटे खां, उस्मान खां के स्थान पर वादी का नाम जमाबन्दी मे दर्ज हो चुका है। शेष नन्हे खां व जुम्मे खां की मृत्यु हो चुकी है, जिनके वारीसान का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित भी नहीं है। परन्तु नोशे खां के वारिसान प्रतिवादीगण 1 ता 12 का नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकित हो गया है। जिसे हटाया जाना न्यायोचित है। अब चूकि प्रतिवादी न0 1 ता 12 का तथा मृतक नन्हे खां, नोशे खां के वारिसान का कोई हक व अधिकार नही रहा है और ना ही उनका कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। यदि प्रतिवादीगण को कोई उज्र या ऐतराज होता तो वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंकर अपना अपनी आपत्ति दर्ज करवाते। परन्तु उनके द्वारा कोई आपत्ति यां जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे पी.डब्लू. 1 चुन्नु खां व पी.डब्लू. 2 शंकर के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझता है। वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। साबिक आराजी ख0न0 85 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 201 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 200 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नाहरी उर्फ वजीरपुरा तहसील उनियारा जिसके हाल ख0न0 381, 395, 397, 398 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 ता 12 का नाम तथा जमाबन्दी मे वर्णित मृतक खातेदार नन्हे खां व जुम्मे खां का नाम राजस्व रकार्ड से तर्क किया जावे। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कैलाश चन्द गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

चुन्नु खां पुत्र श्री उस्मान खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक

—वादी

बनाम

1. मोहम्म्द नूर पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2. शेर मोहम्म्द पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
3. शरीफ मोहम्मद पुत्र श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
4. निशारा पुत्री श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
5. सितारा पुत्री श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
6. मोबिना पत्नी श्री नोशे खां जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
7. अख्तर खान पुत्र हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
8. अल्ताफ खान पुत्र हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
9. शमीम पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
10. नसीम पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
11. इन्ताज पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
12. मोबिना पुत्री हाजरा जाति मुसलमान निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
13. मोहम्मद खान पुत्र नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
14. मोहम्मद उमर पुत्र नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
15. मसूदा पत्नी नन्हे खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनुरार मस्जिद वाली गली कोटा
16. नजमा पुत्री नन्हे खां पत्नी जीमल मियां जाति मुसलमान निवासी हाजीपुरा तहसील टोंक
17. रजियां पुत्री नन्हे खां पत्नी शाकिर मियां जाति मुसलमान निवासी अहमदाबाद, जुवापुरा गुजरात
18. साफियां पुत्री नन्हे खां पत्नी सादिक निवासी बायपास जयपुर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास टोंक
19. मरजीना पुत्री नन्हे खां पत्नी रईस मियां निवासी बायपास जयपुर रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास टोंक
20. अकबर पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी मोतीबाग टोंक
21. फारूख पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
22. जमील पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
23. खलीज पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
24. अजीज पुत्र जुम्मा खां जाति मुसलमान निवासी गोविन्दनगर दखनियां तालाब के पास कोटा
25. रसीदा पुत्री जुम्मा खां पत्नी गुलाम अली निवासी मोतीबाग टोंक
26. बीबी पुत्री जुम्मा खां पत्नी छोटे खां निवासी निवासी मोतीबाग टोंक
27. अजीजा पुत्री जुम्म खां पत्नी मो0 खां निवासी अलीगढ (टोंक)
28. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः श्री इकबाल अहमद , वकील वादी

मुकदमा नम्बर :—38 वर्ष 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री इकबाल अहमद वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है साबिक आराजी ख0न0 85 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, ख0न0 201 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, ख0न0 200 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम नाहरी उर्फ वजीरपुरा तहसील उनियारा जिसके हाल ख0न0 381, 395, 397, 398 है0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 ता 12 का नाम तथा जमाबन्दी मे वर्णित मृतक खातेदार नन्हे खां व जुम्मे खां का नाम राजस्व रकार्ड से तर्क किया जावे। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2018 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx199

Scanned by CamScanner